

# निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 2781/बा0वि0परि0/योजना-01/2015-16

दिनांक : 17 मार्च, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभासी  
उत्तर प्रदेश।

**विषय:** अनुपूरक पुष्ठाहार के लाभार्थियों का बाल विकास परियोजना अधिकारियों के स्तर से त्रैमासिक भौतिक सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-सी0डी0-11-14/30/2015-सी0डी0-11 दिनांक 02.02.2016 के द्वारा अनुपूरक पुष्ठाहार के लाभार्थियों का बाल विकास परियोजना अधिकारियों के स्तर से त्रैमासिक भौतिक सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में अनुपूरक पुष्ठाहार के लाभार्थियों का बाल विकास परियोजना अधिकारियों के स्तर से त्रैमासिक सत्यापन कराये एवं सत्यापन रिपोर्ट की परियोजनावार चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी, 2016 से मार्च, 2016 तक) की संकलित सूचना 15 अप्रैल, 2016 तक तथा आगामी त्रैमासों की सूचना त्रैमासान्त के आगामी माह के 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निम्न प्रारूप पर Microsoft Excel पर CD सहित निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-

जनपद का नाम :-

प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ त्रैमास (अवधि माह ..... से .....तक)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या				स्थलीय सत्यापन के अनुसार उपरिष्ठत लाभार्थियों की वास्तविक संख्या			
		06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों	03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों	गर्भवती महिलाएं	घात्री माताएं	06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों	03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों	गर्भवती महिलाएं	घात्री माताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उपरोक्त सत्यापन अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसे समयबद्ध रूप से गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाय।

(आनन्द कुमार सिंह)  
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या / तददिनांक :

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में शासन के पत्र संख्या-भा0स0-81/60-2-16-2/1(80)/13, दिनांक 11.03.2016 के क्रम में सूचनाार्थ।
2. श्रीमती आरुति यादव, अपर परियोजना प्रबन्धक (योजना) को इस निर्देश के साथ कि संकलित सूचना समयान्तर्गत अद्योहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(आनन्द कुमार सिंह)  
निदेशक।